न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/107 **दायरा दिनांक : 11.07.2021**

उनवान

1– बजरंग लाल आत्मज बापू लाल जाति कुम्हार निवासी खानपुरिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

2– गोपाल लाल आत्मज बापू लाल जाति कुम्हार निवासी खानपुरिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

3– कन्हैयालाल आत्मज धन्नालाल मृतक दिनांक 08.03.2018 जर्ये कायम मुकाम–

3/1–परमानन्द आत्मज कन्हैयालाल जाति कुम्हार निवासी खानपुरिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

3/2–कमलेश आत्मज कन्हैयालाल जाति कुम्हार निवासी खानपुरिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1– रामचन्द्र आत्मज धन्ना कुम्हार मृतक जर्ये कायम मुकाम–

1/1–नन्दराम आत्मज रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी गिरधरपुरा नयागांव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

1/2–बालचन्द आत्मज रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी जुल्मी, तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा (राज0)

1/3–शांति बाई पुत्री रामचन्द्र पत्नि राजाराम जाति कुम्हार निवासी रूणजी (पीपल्या), तहसील पचपहाड, जिला झालावाड (राज0)

1/4–बाली बाई पुत्री रामचन्द्र पत्नि दौलतराम जाति कुम्हार निवासी बकानी खुर्द, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड (राज0)

1/5–कान्ती बाई पुत्री रामचन्द्र पत्नि नेमीचन्द जाति कुम्हार निवासी शामिया तहसील पचपहाड, जिला झालावाड (राज0)

2– कन्हैयालाल आत्मज धन्नालाल मृतक दिनांक 08.03.2018 जर्ये कायम मुकाम–

2/1–लालचन्द आत्मज कन्हैयालाल जाति कुम्हार निवासी खानपुरिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

2/2–कौशल्या बाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नी देवीलाल जाति कुम्हार निवासी सीतापुर, पोस्ट रूदलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

2/3–गुड्डी बाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नी मांगीलाल जाति कुम्हार निवासी सरकारी कुंए के पास, रेगर मोहल्ला, भवानीमण्डी, जिला झालावाड (राज0)

2/4–पूरी बाई बेवा कन्हैयालाल जाति कुम्हार निवासी खानपुरिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

3– मोहनलाल आत्मज धन्नालाल जाति कुम्हार निवासी खानपुरिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

4– रूकमी पुत्री धन्ना पत्नी तुलसीराम जाति कुम्हार निवासी सातलखेडी, रामगंजमंडी, जिला कोटा (राज0)

5– नानूराम आत्मज धन्नालाल जाति कुम्हार निवासी खानपुरिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील झालरापाटन जिला झालावाड (राज0)

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

7– रघुनन्दन आत्मज दुर्गीलाल जाति कुल्मी पाटीदार, निवासी पाटीदार मोहल्ला, मुख्य चौराहा, खानपुरिया, तहसील झालरापाटन जिला झालावाड (राज0)

.... रेस्पोडेंट

दायरा दिनांक : 11.07.2021

अपील संख्या 2023 / 108

उनवान

1– बजरंग लाल आत्मज बापू लाल जाति कुम्हार निवासी खानपुरिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

2– गोपाल लाल आत्मज बापू लाल जाति कुम्हार निवासी खानपुरिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

3– कन्हैयालाल आत्मज धन्नालाल मृतक दिनांक 08.03.2018 जर्ये कायम मुकाम–

3/1–परमानन्द आत्मज कन्हैयालाल जाति कुम्हार निवासी खानपुरिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

3/2–कमलेश आत्मज कन्हैयालाल जाति कुम्हार निवासी खानपुरिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1– रामचन्द्र आत्मज धन्ना कुम्हार मृतक जर्ये कायम मुकाम–

1/1–नन्दराम आत्मज रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी गिरधरपुरा नयागांव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

1/2–बालचन्द आत्मज रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी जुल्मी, तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा (राज0)

1/3–शांति बाई पुत्री रामचन्द्र पत्नि राजाराम जाति कुम्हार निवासी रूणजी (पीपल्या), तहसील पचपहाड, जिला झालावाड (राज0)

1/4–बाली बाई पुत्री रामचन्द्र पत्नि दौलतराम जाति कुम्हार निवासी बकानी खुर्द, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड (राज0)

1/5–कान्ती बाई पुत्री रामचन्द्र पत्नि नेमीचन्द जाति कुम्हार निवासी शामिया तहसील पचपहाड, जिला झालावाड (राज0)

2– कन्हैयालाल आत्मज धन्नालाल मृतक दिनांक 08.03.2018 जर्ये कायम मुकाम–

2/1–लालचन्द आत्मज कन्हैयालाल जाति कुम्हार निवासी खानपुरिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

2/2–कौशल्या बाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नी देवीलाल जाति कुम्हार निवासी सीतापुर, पोस्ट रूदलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

2/3–गुड्डी बाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नी मांगीलाल जाति कुम्हार निवासी सरकारी कुंए के पास, रेगर मोहल्ला, भवानीमण्डी, जिला झालावाड (राज0)

2/4–पूरी बाई बेवा कन्हैयालाल जाति कुम्हार निवासी खानपुरिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

3– मोहनलाल आत्मज धन्नालाल जाति कुम्हार निवासी खानपुरिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

4– रूकमी पुत्री धन्ना पत्नी तुलसीराम जाति कुम्हार निवासी सातलखेडी, रामगंजमंडी, जिला कोटा (राज0)

5– नानूराम आत्मज धन्नालाल जाति कुम्हार निवासी खानपुरिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील झालरापाटन जिला झालावाड (राज0)

14/8/2024

(ममता ...)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

7– रघुनन्दन आत्मज दुर्गीलाल जाति कुल्मी पाटीदार, निवासी पाटीदार मोहल्ला, मुख्य चौराहा, खानपुरिया, तहसील झालरापाटन जिला झालावाड (राज०)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री जगदीश नंदवाना अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री पूरीलाल राठौर एवं रामबाबू माहेश्वरी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 14.08.2024

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या 552/2011 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.08.2012 तथा प्रकरण संख्या 701/दावा/2019 निर्णय एवं संशोधित फाईनल डिकी दिनांक 12.05.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी /रेस्पोडेंट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 तथा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम खानपुरिया तहसील झालरापाटन की जमाबंदी सम्वत् 2062–2065 की खेवट खतौनी संख्या नई 68, पुरानी 72 की आराजी खसरा नं. 3 रकबा 8.09 बीघा, ख.नं. 191 रकबा 10.01 बीघा, ख.नं.409 रकबा 2.01 बीघा, ख.नं. 410 रकबा 1.04 बीघा, ख.नं. 413 रकबा 2.01 बीघा, ख.नं. 414 रकबा 0.11 बीघा, ख.नं. 415 रकबा 0.04 बीघा, ख.नं. 413/613 रकबा 0.05 बीघा, कुल आठ किता कुल रकबा 24 बीघा 16 बिस्वा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय झालावाड ने अपने निर्णय व डिकी प्राथमिक डिकी दिनांक 16.08.2012 तथा फाइनल डिकी दिनांक 12.05.2022 से वादी/रेस्पोडेंट का वाद आंशिक रूप से अस्वीकार किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील संख्या 2023/107 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के पश्चात् बापू लाल सन् 2015 में फोत उसके कायम मुकाम अपीलांट कम 1 व 2 पुत्र है तथा पुत्रियां कलावती, लीला बाई, भगवती बाई, प्रेमबाई ने अपना हिस्सा रिलीज कर दिया, खाते से नाम हट गया, फाईनल डिकी में भी अपीलांट कम 1 व 2 का नाम है, बेवा नन्दू बाई भी दिनांक 10.11.2022 को फोत हो चुकी है, उसके वारिस अपीलांट कम 1 व 2 पक्षकार है, कन्हेयालाल रेस्पोडेंट कम 2 दिनांक 08.03.2018 को फोत हो गया, उसके कायम मुकाम अपीलांट कम 1 व 2 तथा रेस्पोडेंट कम 2/1 से 2/4 है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट कम 1 व 2, 5 के अभिभाषक द्वाा बिना अपीलांट कम 1, 2 व5 को बिना सूचित किये तथा बिना हिदायत के नोटप्रेस करने पर बिना अपीलांट को सूचित किये निर्णय देने में भारी त्रुटि की है, जबकि अपीलांट ने कभी भी वाद नोटप्रेस करने की हिदायत अपने अभिभाषक को नहीं दी तथा अपीलांट के अभिभाषक ने

14/8/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलांटगण को नोटप्रेस करने के पहले वाद में भी सूचित नहीं किया इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने भी नोटप्रेस करने के पश्चात् अपीलांट को सूचित नहीं किया, जबकि नोटप्रेस करने के पश्चात् अपीलांट को सूचित करना आवश्यक था, अपीलांट को बिना सूचित किये निर्णय दिया है, जो प्राकृतिक न्याय के विपरीत है तथा शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम खानपुरिया, तहसील झालरापाटन जिला झालावाड की खसरा नं. 3, 191, 409, 410, 413, 414, 415, 416/613 कुल 8 किता की 24 बीघा 16 बिस्वा भूमि के संबंध में अपीलांट के वकील द्वारा नोटप्रेस करने के पश्चात् बिना अपीलांट को सूचित किये तथा बिना एक तरफा कार्यवाही किये जवाब दावा बंद करने में भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट कम 4 के द्वारा अपने जवाब दावे की मद नम्बर –9 में उठाये गये ऐतराज के संबंध में न तो तनकी बनाई, न ही इस संबंध में निर्णय दिया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भूमि के कब्जे के संबंध में बिना विचार किये निर्णय दिया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 16.08.2012 निरस्त किया जावे।

अपील संख्या 2023/108 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी कानून व न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम विभाजन की डिकी बिना अपीलांटगण को सूचित किये तथा बिना सुनवाई किये पारित की है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक कन्हैयालाल के विरूद्ध डिकी पारित करने में त्रुटि की है जबकि कन्हैयालाल दिनांक 08.03.2018 को फोत हो चुका है, जिसके कायम मुकाम रेस्पोडेंट कम 2/1 से 2/4 है तथा बापूलाल फोत हो चुका है अपीलांट कम 1 व 2 उसके पुत्र है तथा बापू लाल की पुत्रियां कलावती, लीला बाई, भगवती बाई, प्रेमबाई ने अपना हिस्सा रिलीज कर दिया है तथा बेवा नन्दू बाई का स्वर्गवास हो चुका है, जिससे इन्हे पक्षकार नहीं बनाया है एवं रेस्पो0 नं 4 व 5 डिकी में नाम होने के कारण पक्षकार बनाये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट जो बंटवारा नियम 18 से 21 के सर्वथा विपरीत है के आधार पर अंतिम डिकी पारित करने में भारी भूल की है, न तो विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार ने अपीलांटगण को सूचित किया, न ही मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया, न ही कोई भी भूमि किसे कब्जे में वर्णित है, इसी प्रकार भूमि विभाजन प्रस्ताव में स्वयं ने ही प्रत्येक को उसके हिस्से की भूमि वर्णित कर दी, जबकि उन्हे ता हिस्से के अनुसार अलग–अलग करना था तथा किस पक्षकारा के हिस्से में कौन सी भूमि आवेगी, दूसरा निर्णय विभाजन प्रस्ताव के पश्चात् पक्षकारों की सुनवाई कर आपत्तियों का निस्तारण करके करना था, इसी प्रकार प्रत्येक का हिस्सा अलग अलग रंग से दर्शाना था।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के द्वारा दिनांक 25.02.2019 रिमाण्ड करने के पश्चात् बिना अपीलांटगण को सूचित किये निर्णय दिया है जो निरस्तनीय है तथा बिना सूचना के होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से अवैध व शून्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी निरस्त की जावे।

1/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलांटगण को बिना सूचना के निर्णय दिया है, जिसकी जानकारी दिनांक 23.05.2023 को रेस्पोडेंट द्वारा कब्जे में हस्तक्षेप करने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना दिये निर्णय पारित किया है। तहसीलदार की रिपोर्ट जो बंटवारा नियम 18 से 21 के सर्वथा विपरीत है के आधार पर अंतिम डिक्री पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं विधि के अनुरूप है। अपील मियाद बाहर है। अतः अपील खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 7 ने कथन किया कि हमारे द्वारा आराजी दिनांक 30.11.2022 को रजिस्टर्ड सेल डीड से कय की है। हमारे द्वारा 5 विक्रेताओं से जमीन खरीदी, बंटवारे में मिलने के अनुसार उस पर हमें खातेदार घोषित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की फाईनल डिक्री दिनांक 12.05.2022 की अपील प्रस्तुत की गयी है। पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 06.04.2017 के निर्णय द्वारा विवादित आराजी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री दिनांक 06.11.2012 को अपास्त किया गया था। उक्त निर्णय में लिखा गया कि **"अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न बंटवारा प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये है, जबकि राजस्व मंडल नियमों के अनुसार तहसीलदार को स्वयं जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार किये जाने चाहिए। बंटवारा रिपोर्ट में पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं है और न ही यह अंकित है कि पक्षकारान को मौके पर बुलाया गया है और वो उपस्थित नहीं हुए, अथवा हस्ताक्षर करने से मना किया। बंटवारा प्रस्ताव आने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया है। बंटवारा प्रस्ताव में सहखातेदारान की प्रस्तावित बंटवारा आराजी**

14/8/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पृथक–पृथक स्याही से नहीं दर्शायी गयी है। इस प्रकार अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्व मंडल नियमों की पालना नहीं की गयी है।" उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को दिनांक 06.04.2017 को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में पुनः बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर बंटवारा प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत् निर्णय पारित करे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस निर्णय की पालना करते हुए पुनः अंतिम डिक्री पारित की जानी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसकी पालना में दिनांक 20.06.2019 को तहसीलदार झालरापाटन को पत्र लिखा। तहसीलदार झालरापाटन द्वारा स्वयं मौके पर नहीं जाकर पटवारी की रिपोर्ट सलंग्न कर अधीनस्थ न्यायालय को पालना भिजवायी गयी। बंटवारा रिपोर्ट तैयार करते समय न्यायालय के निर्णय अनुसार तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट तैयार करनी थी जो नहीं की जाकर मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट संलग्न कर भिजवायी गयी। उक्त रिपोर्ट में समस्त पक्षकारान को मौके पर बुलाने के कोई साक्ष्य नहीं है। बंटवारा रिपोर्ट पर केवल 5 पक्षकारों के हस्ताक्षर है। बंटवारा रिपोर्ट पर कहीं भी यह अंकित नहीं है कि पक्षकारान को मौके पर बुलाया गया और वो उपस्थित नहीं हुए। बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर भी नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व मंडल नियम 18 से 21 तथा इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 06.04.2017 की कतई अवहेलना की है जो नितांत त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.08.2012 विधि सम्मत होने से यथावत रखा जाता है। अपील संख्या 2023/107 खारिज की जाती है।

अपील संख्या 2023/108 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.05.2022 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की एवं पूर्व में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.04.2017 में दिये गये निर्देशों की अक्षरशः पालना कर पुनः फाइनल डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.10.2024 को उपस्थित होवें ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– बजरंग लाल आत्मज बापू लाल जाति कुम्हार निवासी खानपुरिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

2– गोपाल लाल आत्मज बापू लाल जाति कुम्हार निवासी खानपुरिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

3– कन्हैयालाल आत्मज धन्नालाल मृतक दिनांक 08.03.2018 जर्ये कायम मुकाम–

3/1– परमानन्द आत्मज कन्हैयालाल जाति कुम्हार निवासी खानपुरिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

3/2– कमलेश आत्मज कन्हैयालाल जाति कुम्हार निवासी खानपुरिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

......अपीलांट

बनाम

1– रामचन्द्र आत्मज धन्ना कुम्हार मृतक जर्ये कायम मुकाम–

1/1– नन्दराम आत्मज रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी गिरधरपुरा नयागांव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

1/2–बालचन्द आत्मज रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी जुल्मी, तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा (राज0)

1/3–शांति बाई पुत्री रामचन्द्र पत्नि राजाराम जाति कुम्हार निवासी रूणजी (पीपल्या), तहसील पचपहाड, जिला झालावाड (राज0)

1/4–बाली बाई पुत्री रामचन्द्र पत्नि दौलतराम जाति कुम्हार निवासी बकानी खुर्द, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड (राज0)

1/5–कान्ती बाई पुत्री रामचन्द्र पत्नि नेमीचन्द जाति कुम्हार निवासी शामिया तहसील पचपहाड, जिला झालावाड (राज0)

2– कन्हैयालाल आत्मज धन्नालाल मृतक दिनांक 08.03.2018 जर्ये कायम मुकाम–

2/1–लालचन्द आत्मज कन्हैयालाल जाति कुम्हार निवासी खानपुरिया, तहसील झालरापाटन,
जिला झालावाड (राज0)

2/2–कौशल्या बाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नी देवीलाल जाति कुम्हार निवासी सीतापुर, पोस्ट रूदलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

2/3–गुड्डी बाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नी मांगीलाल जाति कुम्हार निवासी सरकारी कुंए के पास, रेगर मोहल्ला, भवानीमण्डी, जिला झालावाड (राज0)

2/4–पूरी बाई बेवा कन्हैयालाल जाति कुम्हार निवासी खानपुरिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

3-- मोहनलाल आत्मज धन्नालाल जाति कुम्हार निवासी खानपुरिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

4– रूकमी पुत्री धन्ना पत्नी तुलसीराम जाति कुम्हार निवासी सातलखेडी, रामगंजमंडी, जिला कोटा (राज0)

5– नानूराम आत्मज धन्नालाल जाति कुम्हार निवासी खानपुरिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील झालरापाटन जिला झालावाड (राज0)

7– रघुनन्दन आत्मज दुर्गीलाल जाति कुल्मी पाटीदार, निवासी पाटीदार मोहल्ला, मुख्य चौराहा, खानपुरिया, तहसील झालरापाटन जिला झालावाड (राज0)

.... रेस्पोडेंट

अपील नं. **2023/107** व नाराजगी डिकी अदालत – उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़
मु.द.नं **552/2011** निर्णय एवं डिकी दिनांक – **16.08.2012**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **02** माह **08** सन् **2024**

हाजरी **श्री जगदीश नंदवाना** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री पूरीलाल राठौर एवं श्री रामबाबू माहेश्वरी** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.08.2012 विधि सम्मत होने से यथावत रखा जाता है। अपील संख्या 2023/107 खारिज की जाती है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **14** माह **08** सन् **2024** को जारी किया गया ।

14/8/24

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(राज0)

मोहर